

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी नामाल्ल खेड व भू.अ. निरीक्षक नामाल्ल खेड तहसील रायपुर

प्रदेश

निवेदन कि ग्राम के नाम चारण 46, 47, 48 में ग्राम

~~रामेश्वरलाल पि. प्रताप के बजाय सा. नामाल्ल खेड के बजाय सा.~~

दर्ज कि जाऊ उचित है। रिपोर्ट में सा. नामाल्ल खेड के बजाय

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

14/10/21
[Signature]

[Signature]
प. नारायण

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक अनुसार ग्राम तहसील

के नाम - 46, 47, 48 में रामेश्वरलाल पि. प्रताप मील की

सा. नामाल्ल खेड के नाम सा. डेह इ. कि जाऊ उचित है।

[Signature]



आदेश

कृपया उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
कुमांक / प्रोगा सं/2021/26/2021 दि. 14.10.2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी द्वारा, जांच भू.अ. निरीक्षक तहसील
रायपुर व सलान तहसील के आधार पर ग्राम तहसील खेड, सा.

46, 47, 48 में सह खातेदार रामेश्वरलाल पि. प्रताप मील सा. नामाल्ल खेड

के बजाय रामेश्वरलाल पि. प्रताप मील सा. डेह इ. कि जावे, तदनुसार

रेकॉर्ड में इन्ट्राज किया जावे।



उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

[Signature]
24-10-2021
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर

प्रार्थी


बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956

मु0नं0 26 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
दिनांक- 14-10-2021	<p>प्रार्थी रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073-2076 में शामलाती खाता संख्या 46, 47, 48 में क्रमशः किता 10 रकबा 1.75 है0, किता 8 रकबा 2.16 है0, किता 2 रकबा 0.32 है0 भूमि सहखातेदारी से प्रार्थी रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील सा. देह के बजाय रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक ग्राम का नाम रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील सा. तेज्याखेड़ी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 46, 47, 48 में खातेदार रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील सा. देह दुरुस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरुस्ती करने की अभिशंषा की गई।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय रामेश्वरलाल पिता प्रताप भील सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> 14-10-2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा</p>